न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 15/ 2020 **दायर तारीख : 10-07-2020**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर **— प्रार्थी**

बनाम

1. जस कंवर पत्नि आनंद सिंह वगैरह जाति राजपूत निवासी चतरपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राशि गर्ग पत्नि मधूसूदन गर्ग वगैरह जाति अग्रवाल निवासी मौहल्ला रूईवालान चौकडी तोफखाना हजूरी जयपुर हाल बी/3 स्टेलिंग अपार्टमेन्ट 38 पटेदार रोड कवाला हिल मुम्बई।
3. एन0 के0 अग्रवाल एण्ड सन्स एच यू एफ जरिये कर्ता निर्मल कुमार अग्रवाल पुत्र दामोदरदास अग्रवाल निवासी एफ 11 सेठी कॉलोनी जयपुर।
4. गोमाराम पुत्र भंवरलाल वगैरह जाति गुर्जर निवासी ढाणी अरठा वाली तन शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
5. मुकेश पुत्र बन्नाराम वगैरह जाति जाट निवासी कांट तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
6. अणची देवी पत्नि हनुमान सहाय जाति बलाई निवासी चतरपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
7. प्रहलाद सहाय पुत्र गिरधारी लाल गुर्जर वगैरह निवासी चतरपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
8. बेसिक रियल स्टेट प्रा. लिमिटेड सोलह सांई श्रद्वा सी एच एस प्लॉट नंबर 209 सैक्टर 16 ए नेरूल नवी मुम्बई
9. बाबूलाल जाट पुत्र कजोडराम जाट जाति जाट निवासी शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थीगण

उपस्थित : – पैराकार सरकार, प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– **28-01-2021**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर ने ग्राम चतरपुरा पटवार मण्डल बीलवाडी में स्थित खसरा नंबर 482/1.96, 484/0.06, 586/649/0.60, 238/603/5.05, 374/1.67, 371/0.32, 372/0.28, 330/0.15, 371/614/0.34, 331/0.45, 332/1.16, 331/626/0.50 हैक्टेयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी मुतनाजा 482/1.96 में से 0.08, 484/0.06 में से 0.06, 586/649/0.60 में से 0.60,

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

238/603/5.05 में से 0.0150, 374/1.67 में से 0.06, 371/0.32 में से 0.03, 372/0.28 में से 0.0150, 330/0.15 में से 0.0250, 371/614/0.34 में से 0.0150, 331/0.45 में से 0.02, 332/1.16 में से 0.03, 331/626/0.50 में से 0.02 हैक्टेयर के संबंध में राजस्व विभाग (राजस्व/ग्रुप–6) राजस्थान सरकार के परिपत्र : प. 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया है कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित अनुसार चतरपुरा पेट्रोल पम्प से चौहानों की ढाणी तक आमरास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है। अतः रास्ता सार्वजनिक के रूप में उपयोग में आ रहा है। अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र : प 3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड आम रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित खातेदारान की तलवी की गई। अप्रार्थीगण सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
3. तहसीलदार विराटनगर ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू॰अभिलेख निरीक्षक, मौका फर्द, नक्शा ट्रेस ग्राम चतरपुरा, नकल जमावन्दी ग्राम चतरपुरा संवत् 2076–2079 आदि पेश किये।
4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी रिकार्ड एवं तथ्यों से यह साबित है कि खसरा नंवर 482/1.96 में से 0.08, 484/0.06 में से 0.06, 586/649/0.60 में से 0.60, 238/603/5.05 में से 0.0150, 374/1.67 में से 0.06, 371/0.32 में से 0.03, 372/0.28 में से 0.0150, 330/0.15 में से 0.0250, 371/614/0.34 में से 0.0150, 331/0.45 में से 0.02, 332/1.16 में से 0.03, 331/626/0.50 में से 0.02 हैक्टेयर भूमि सडक/आम रास्ता के रूप में काम आ रही है। अप्रार्थीगण द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि मौके पर सडक/आम रास्ता वना हुआ नहीं है। चूंकि भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है। अतः न्यायालय भूमि की किस्म मौके अनुसार रिकार्ड में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है। यह भी कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक : प 3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 जारी कर निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों मे से चालू है, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है, तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो वाहरमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

बदलते नहीं है तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध है, ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60H, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। अतः ग्राम चतरपुरा के हाल खसरा नंबर 482/1.96 में से 0.08, 484/0.06 में से 0.06, 586/649/0.60 में से 0.60, 238/603/5.05 में से 0.0150, 374/1.67 में से 0.06, 371/0.32 में से 0.03, 372/0.28 में से 0.0150, 330/0.15 में से 0.0250, 371/614/0.34 में से 0.0150, 331/0.45 में से 0.02, 332/1.16 में से 0.03, 331/626/0.50 में से 0.02 हैक्टेयर भूमि की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

आदेश

प्रार्थी, राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम चतरपुरा के हाल खसरा नंबर 482/1.96 में से 0.08, 484/0.06 में से 0.06, 586/649/0.60 में से 0.60, 238/603/5.05 में से 0.0150, 374/1.67 में से 0.06, 371/0.32 में से 0.03, 372/0.28 में से 0.0150, 330/0.15 में से 0.0250, 371/614/0.34 में से 0.0150, 331/0.45 में से 0.02, 332/1.16 में से 0.03, 331/626/0.50 में से 0.02 हैक्टेयर भूमि नक्शा में दर्शित अनुसार की किस्म गैरमुमकीन रास्ता अंकित किया जाकर नया खसरा नम्बर कायम किया जावे तथा शेष भूमि पूर्वानुसार खातेदारी में यथावत दर्ज रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 28.01.2021 को सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)